12/12/19

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में अभिभाषकों की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अधी० न्यायालय में प्रस्तुत धारा 251 के तहत निकेतन द्वारा प्रार्थी (रेस्पोंडेंट) के 1 के मकान तक जाने का 452 रुपया 90-00 रुपया प्रतिमाह आवागमन हेतु जो ज.नं. 452 रुपया 60-00 रुपया में से 20 फीट रास्ता का फैसला नम्बर 5 में एडवांस-एक्ट की धारा तक मांगा है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस रास्ते के निर्णय में जो आदेश किया है वह कारण सही नहीं है, इसमें वाकियाती भूल की है। तामील भी सम्यक रूप से नहीं हुई है। प्रार्थी (रेस्पोंडेंट) के खेत में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। इसका अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। मौका जांच दिनांक 4/10.19 पंचकायत की अनुपस्थिति में तैयार की गई है जो सही नहीं है। प्रदत्त रास्ता किसी भी तरह से आते किसी ग.नं. का रास्ता जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, से नहीं मिलता लिहाजा रेस्पोंडेंट का मकान पूर्ण नहीं होता। यह रास्ता केवल अपीलांट के खेत तक ही सीमित रह जाता है। इसलिए अपीलार्थी आदेश कायम। न्याय हेतु के कारण खारिज फरमाया जाकर अपील स्वीकार की जावे।

रेस्पोंडेंट वकील का कथन है कि प्रदत्त रास्ता जिस आदेश से दिया गया है वह विधिसम्मत है।

प्रा०

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट मंगवाकर बाद सुनवाई आदेश पारित किया जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। अतः इसे बहाल रखा जाना उचित है। प्रश्नगत रास्ते के आगे सुरडिया सड़क है जो ग.नं. 422 गै.मु. गोचर में है इससे रेस्पाडेंट को रास्ता सुगमता मिल जाता है। बीच में ग.नं. 422 की सीमा पर बहुत बड़ा पहाड़ है इसलिए वह रास्ता दुर्गम होने से उचित है, व्यावहारिक नहीं है। अधीन अपीलांट वांछित कार्रवाई जाकर आदेश बहाल रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट एवं प्रश्नगत नक्शा का अवलोकन किया। रेस्पाडेंट का खेत ग.नं. 452 संयुक्त खातेदारी का अविभाजित खेत है जो उसकी खातेदारी में है जिसके लिए रास्ता मांग में लिए चाहा है। ग.नं. 427 की प्रश्नगत रामपाल रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2070-71 ग्राम पंचायत के खाता नं. 97 के अनुसार प्रार्थी / रेस्पाडेंट हमीरराम की संयुक्त खातेदारी का है जो ग.नं. 452 से मिलता है। ग.नं. 452 तथा ग.नं. 427 दोनों की उत्तरी सीमा है और इनमें परम्परा आवागमन एवं पहुंच स्वयं रेस्पाडेंट की खातेदारी में होते से है। ग.नं. 422 गै.मु. गोचर भूमि है जिसकी सीमा ग.नं. 427 से मिलती है। प्रार्थी / रेस्पाडेंट की सीधी पहुंच ग.नं. 427 गै.मु. गोचर और उसमें अंकित रास्ता तक है। इस स्थिति में प्रार्थी / रेस्पाडेंट को ग.नं. 453 में से रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है जब तक कि ग.नं. 452 का बंटवारा नहीं हो जाता। ग.नं. 452 का बंटवारा हो जाने पर परिस्थितियां एवं स्थिति परिवर्तित हो जाएगी तब मांग करने वाले खातेदार को रास्ते की आवश्यकता पड़ सकती है यदि सहखातेदार विभाजन के बाद रास्ता का उपयोग करना नहीं रखते हैं। फिलहाल प्रार्थी / रेस्पाडेंट के खेत ग.नं. 452 से ग.नं. 427 के जरिये ग.नं. 422 गै.मु. गोचर तक पहुंच मिली हुई है इसलिए उसे रास्ते की आवश्यकता नहीं है, प्रश्नगत रास्ता का आदेश सही नहीं होने से बहाल रखने लायक नहीं है।

अधीन अपीलांट स्वीकार का अपीलार्थी आदेश दि. 5.10.19 अपास्त किया जाता है। पत्रावली मौसिल मुताबिक होकर नेकट से बाद है, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी